भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3838
दिनांक 11 अगस्त, 2026 / 20 श्रावण, 1948 (शक) को उत्तर के लिए

निर्वाचित विधायी निकाय का आभाव

3838. श्री उमेषभाई बाबूभाई पटेल:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव में निर्वाचित विधायी निकाय के आभाव के कारण प्रशासनिक और विकास संबंधी निर्णय लेने की प्रक्रिया में स्थानीय जनप्रतिनिधियों की भागीदारी सीमित है;

(ख) क्या सरकार लोकतांत्रिक भागीदारी को सुदृढ़ करने के लिए संसद सदस्यों, जिला पंचायतों, नगरपालिकाओं और अन्य निर्वाचित प्रतिनिधियों के पर्याप्त प्रतिनिधित्व के साथ विकास/सलाहकारी क्षेत्रीय परिषद का गठन करने पर विचार कर रही है;

(ग) क्या सरकार का उक्त परिषद को विकास योजनाओं को प्राथमिकता देने, प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा करने और प्रमुख प्रशासनिक निर्णयों के संबंध में अनिवार्य परामर्श अधिकार प्रदान करने का विचार है; और

(घ) क्या सरकार ने अन्य संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासनिक मॉडल का अध्ययन किया है और दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव को राज्य सभा में प्रतिनिधित्व और अधिक लोकतांत्रिक स्वशासन प्रदान करने के संबंध में कोई नीति तैयार की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री नित्यानंद राय)

(क) संघ राज्य क्षेत्र दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव का भौगोलिक क्षेत्रफल 603 वर्ग किलोमीटर है तथा 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी जनसंख्या 5,86,956 है। संघ राज्य क्षेत्र में सहभागी शासन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त लोकतांत्रिक तंत्र है। लोकसभा में इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व संसद के 02

निर्वाचित सदस्यों के माध्यम से किया जाता है और 73वें और 74वें संविधान संशोधन के प्रावधानों के अनुसार, इस संघ राज्य क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में दो-स्तरीय पंचायत प्रणाली और शहरी क्षेत्रों में नगर परिषदें हैं।

"The Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu Panchayat Regulation, 2012" के तहत गठित स्थानीय निर्वाचित निकाय, स्थानीय शासन, विकास योजना और कल्याण तथा विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ग्राम पंचायतों के सरपंचों को "The Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu Panchayats (Application of Funds and Maintenance of Accounts) Rules - 2024" के तहत पर्याप्त वित्तीय शक्तियां प्रदान की गई हैं।

(ख) से (घ) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है।
